Central Ground Water Authority (CGWA)
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
Ministry of Jal Shakti
Government of India

Date- 06.09.2021

PUBLIC NOTICE No. 12/2021

Whereas the Central Government constituted the Central Ground Water Authority vide notification Number S.O. 38(E), dated 14th January, 1997, followed by notification number S.O. 1124(E) dated 6th November, 2000 and S.O. 1121 (E) dated 13th May, 2010 of the Government of India in the Ministry of Environment & Forests, for the purposes of regulation and control of ground water development and management in the whole of India and to issue necessary regulatory directions.

And whereas the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in its Order dated 15.04.2015 in O.A. No. 204/2014 and connected matters, has directed that "any person operating tubewell or any means to extract groundwater should obtain its permission and should operate the same subject to law in force, even if such unit is existing unit or the unit is still to be established".

And whereas, in pursuance to above directions from Hon'ble NGT all existing/new ground water users including Industrial/ Infrastructure/ Mining Projects were directed to submit their applications for No Objection Certificates (NOC) latest by 30.06.2020 vide Public Notice dated 01.04.2020.

And whereas revised CGWA guidelines for NOC for ground water withdrawal have been notified vide Notification No. S.O. 3289(E), dated 24.09.2020, available on CGWA website (http://cgwa-noc.gov.in/LandingPage/Guidlines/NewGuidelinesNotified250920.pdf#ZOOM=100).

Now, therefore, all the users including **Residential apartments, Group Housing Societies, Government water supply agencies in urban areas and Industrial, Infrastructure and Mining Projects and Swimming Pools whether existing or new (*except exempted category as per section 1 of notified guidelines*), drawing or proposing to draw ground water are required to obtain NOC as per the guidelines and are hereby directed to submit their applications for NOC through online portal of CGWA (http://cgwa-noc.gov.in) or respective State Authorities, as the case may be.** The applications received in CGWA shall be processed as per guidelines dated 24.09.2020 and subsequent public notices issued in this regard.

Since, the last date provided for submission of applications is already over, the applicants shall be liable to pay a late fee of Rs. 1 lakh, along with ground water abstraction/restoration charges w.e.f. 24.09.2020. However, such applicants shall be exempted to pay Environmental Compensation till 31.03.2022. All project proponents drawing ground water but fail to apply for NOC by 31.03.2022 are liable to face legal action and pay Environmental Compensation for illegal withdrawal of ground water.

It is hereby also informed that all the ground water users whose applications for grant of NOC have been rejected by CGWA on the ground of non-submission of mandatory documents shall be required to resubmit their applications for grant of NOC by **31.03.2022** through online portal of CGWA or respective State Authorities, as the case may be, failing which legal action as per proviso of the notified vide Notification No.S.O. 3289(E), dated 24.09.2020 shall be initiated.

Chairman
06.09.2021

केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण(CGWA)
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

केंद्र सरकार ने भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय के एस ओ 38(ई) दिनांक 14 जनवरी 1997, तदुपरान्त एस ओ 1124(ई) दिनांक 6 नवंबर 2000 और एस ओ 1121 (ई) दिनांक 13 मई,2010 की अधिसूचना के तहत पूरे भारत में भूजल विकास तथा प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए और आवश्यक विनियामक दिशा निर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण गठित किया है।

और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन जी टी), नई दिल्ली ने ओ.ए. क्रमांक 204/2014 और इससे सम्बद्ध मामलों में दिनांक 15.04.2015 के अपने आदेश में यह निर्देश दिया है कि " भूजल की निकासी के लिए ट्यूबवेल अथवा अन्य किसी साधन का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मौजूदा इकाई अथवा स्थापित की जाने वाली इकाइयों के मामले में इसकी अनुमति लेनी होगी तथा इसका प्रयोग प्रचलित कानून के अनुसार किया जाएगा ।

और माननीय एनजीटी के उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में औद्योगिक / अवसंरचना / खनन परियोजनाओं सहित सभी मौजूदा / नए भूजल उपयोक्ताओं को दिनांक 01.04.2020 की सार्वजनिक सूचना के तहत दिनांक 30.06.2020 तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया था।

और भूजल निकासी के लिए एनओसी हेतु सीजीडब्ल्यूए के संशोधित दिशानिर्देश अधिसूचना संख्या एस.ओ.3289 (ई), दिनांक 24.09.2020 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, ये दिशानिर्देश सीजीडब्ल्यूए की वेबसाइट (http://cgwa-noc.gov.in/LandingPage/Guidlines/NewGuidelinesNotified250920.pdf#ZOOM=100) पर उपलब्ध है।

अतः, अब, **आवासीय अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, शहरी क्षेत्रों की सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियां, उद्योग, बुनियादी ढांचा, खनन परियोजनाएं और स्विमिंग पूल सहित सभी मौजूदा अथवा नए उपयोक्ताओं, (*अधिसूचित दिशानिर्देशों की धारा 1 के अनुसार छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर*) को इस दिशा निर्देशों के अनुसार भूजल निकासी के लिए एनओसी लेनी होगी। एतद्द्वारा सभी उपयोक्ताओं को सीजीडब्ल्यूए के ऑनलाइन पोर्टल (http://cgwa-**

noc.gov.in) या संबंधित राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से एनओसी के लिए अपने आवेदन जमा करने का निर्देश दिया जाता है। सीजीडब्ल्यूए द्वारा प्राप्त आवेदनों पर दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों और तदुपरान्त जारी किए गए सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

चूंकि, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है अतः आवेदकों को दिनांक 24.09.2020 से भूजल निकासी / पुनरुद्धार शुल्क सहित 1 लाख रु के विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे आवेदकों को दिनांक 31.03.2022 तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क से छूट दी जाएगी। यदि भूजल की निकासी कर रहे परियोजना प्रस्तावक दिनांक 31.03.2022 तक एनओसी के लिए आवेदन करने में विफल रहते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वे भूजल की अवैध निकासी के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क का भुगतान करने के उत्तरदायी होंगे ।

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी भूजल उपयोक्ता जिनके अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन अनिवार्य दस्तावेज संलग्न न होने के सीजीडब्ल्यूए द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे, उन्हें भी दिनांक **31.03.2022** तक सीजीडब्ल्यूए या संबंधित राज्य प्राधिकरणों के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, एनओसी के लिए पुनः आवेदन जमा करने होंगे अन्यथा अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3289(ई), दिनांक 24.09.2020 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।